

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, औरैया

पत्रांक 24 / आब.0वि0-व्यवस्थापन पत्रा0 / 2018-2019 / दिनांक

06-4-18

विज्ञप्ति

तृतीय चरण ई-लाटरी सम्बंधी महत्वपूर्ण आबकारी सूचना :-

आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र सं0 1347-1421 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018-19 दिनांक इलाहाबाद अप्रैल 06, 2018 के अनुक्रम में एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 प्रथम एवं द्वितीय चरण की ई-लाटरी से व्यवस्थित दुकानों के पश्चात अवशेष विदेशी मदिरा की अवशेष 02 फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से दिनांक 16-04-2018 को एन0आई0सी0 औरैया के सहयोग से कराया जायेगा। ई-लाटरी से व्यवस्थित होने वाली अवशेष दुकानों के लिए विभागीय ई-लाटरी पोर्टल <http://upexciseclottery.gov.in> पर लॉगइन कर रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन किया जा सकता है। दुकानों की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, धरोहर धनराशि आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र की धनराशि निम्नवत् है। उपरोक्त के सम्बंध में विवरण जनपद औरैया की वेबसाइट www.auraiya.nic.in पर भी देखा जा सकता है। इस चरण में धरोहर धनराशि, प्रोसेसिंग फीस व जी0एस0टी0 का भुगतान ऑन लाइन तथा वांछित धरोहर धनराशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की कॉपी अपलोड कर वांछित धरोहर धनराशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट को कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, औरैया में दिनांक 14-04-2018 को प्रातः 10 बजे तक उपलब्ध करा दें। आवेदक और सह आवेदक की अलग-अलग हैसियत आवेदित दुकान के हैसियत से कम नहीं होगी। अन्य नियम व शर्तें पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति पत्रांक1199/आब.0वि0-व्यवस्थापन पत्रा0 / 2018-2019 / दिनांक 20-03-2018 व अन्य प्रकाशित पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार रहेगी। तृतीय चरण की लाटरी हेतु समय सारणी व अवशेष दुकानों के सम्बंध में विवरण निम्नवत् है :-


- जनपद के देशी शराब विदेशी मदिरा, बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स अनुज्ञापनों के वर्ष 2018-19 हेतु समय सारिणी :-


क्रमांक	विवरण	द्वितीय चरण
1	आन लाइन आवेदन करने की अवधि	07-04-2018 की प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ कर दिनांक 12-04-2018 को रात्रि 11:30 बजे तक।
	ई-लाटरी की तिथि / समय एवं स्थल	16-04-2018 को प्रातः 09 बजे से जनपद मुख्यालय ककोर औरैया

अवशेष विदेशी मदिरा दुकानों का विवरण :-

क्रम सं0	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	प्रास्थिति	लाइसेंस फीस	प्रतिभूति धनराशि ₹0 में	धरोहर धनराशि ₹0	अपेक्षित सौलवेंसी की धनराशि	प्रोसेसिंग फीस ₹0	प्रोसेसिंग फीस पर देय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0
1	रुरुगंज	ग्रामीण	1090000	109000	109000	1090000	15000	2700
2	अयाना	ग्रामीण	945000	94500	94500	945000	15000	2700

- 1- यदि किसी कारणवश किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक रहता है तो उसके बावजूद सम्बंधित तिथि के लिए निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे। इस चरण में धरोहर धनराशि प्रोसेसिंग शुल्क व जी0एस0टी0 के भुगतान की प्रक्रिया द्वितीय चरण के समान रहेगी। शेष नियम व शर्तें यथावत रहेगी।
- 02- उक्त के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दूरभाष नम्बर 05683 245501 एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 औरैया 9454466320 एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 विधुना से 9917022165 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


(ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय)
जिला आबकारी अधिकारी
औरैया।


(श्रीकान्त मिश्रा)
जिला आबकारी अधिकारी
औरैया।

25-29

- पू0 पत्र सं0 / जि0आ0अ0-औरैया / 2018-19 / तददिनांकित।
- प्रतिलिपि :- 1- आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1 एवं क्षेत्र-2 को उपरोक्त के कम में इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त के सम्बंध में समुचित प्रचार-प्रसार कर अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र की समस्त दुकानों का नियमानुसार व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।
- 2- प्रतिनिधित एफ0एल0-2, सी0एल0-1सी, औरैया को नोटिस बोर्ड पर चरपा कराने हेतु।
 - 3- नाजिर, कलेक्ट्रेट, औरैया को इस आशय से कि इसे नोटिस बोर्ड पराचस्था करन हेतु।
 - 4- नाजिर, विकास भवन, औरैया को इस आशय से कि इसे नोटिस बोर्ड पराचस्था करन हेतु।
 - 5- विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, औरैया को इस अनुरोध के साथ कि दिनांक 07-04-2017 को प्रसारित होने वाले अपने सम्मानित समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में प्रसारित कराकर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी, औरैया से सत्यापित करकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय)
जिला आबकारी अधिकारी
औरैया